जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड.
(आर.ई. सर्किल)

क्र./जे.पी.डी/मु.अ.(वाणिज्य)/अधी.अभि./(आर.ई.)/प /प्रे.357/ दिनांक 19-2-08

आदेश

विषयः-कृषि श्रेणी के प्रत्येक कनैक्शन हेतु 3-फेस,11/0.4 के.वी., 16/10 के.वी.ए. का एक ट्रान्सफारमर लगाने के क्रम में।

वर्तमान में विद्युत निगम के प्रचलित प्रावधानो के अनुसार 11/0.4 के.वी. के सबस्टेशन से अधिकतम दो कृषि कनैक्शन तथा प्रत्येक के लिये अधिकतम 270 मीटर की दूरी तक सीधे एल.टी. एबी केबल डाल कर जारी किए जाते है। परन्तु कृषि उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत लोड बढाने से, ट्रान्सफारमरो से तेल व कॉयल इत्यादि के चोरी चले जाने व अन्य कारणों की वजह से बहुत अधिक मात्रा में ट्रान्सफारमर खराब हो रहे हैं/जल रहे हैं। इन ट्रान्सफारमरों को बदलने में निगम को अत्यधिक वित्तीय भार वहन करना पड़ रहा है तथा उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति भी बुरी तरह से प्रभावित होती है।

इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल ने दिनांक-21.1.08 को आयोजित 133वीं मीटिंग में प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार कर यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कृषि कनैक्शन के लिये भविष्य में 7.5 एच.पी. तक के लोड के लिये 3-फेस,11/0.4 के.वी. 10 के.वी.ए. का ट्रान्सफारमर तथा 7.5 एच.पी. से ऊपर के लोड के लिये 3-फेस,11/0.4 के.वी. 16 के.वी.ए. का एक ट्रान्सफारमर उपभोक्ता के कुएं/बोरिंग पर लगाया जावेगा तथा उक्त ट्रान्सफारमर की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी से सम्बन्धित सहमति पत्र संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार उपभोक्ता से लिया जावेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

सलंग्न- परिशिष्ट 'अ'

16/2

(बी.एल. अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
जयपुर डिस्कॉम,जयपुर